न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल महोदय जिला ग्वालियर (म.प्र.)

प्रेमलाल तनय महादेव राय
निवासी धर्मपुरा (सुजारा) तहसील
टीकमगढ़ (म.प्र.)

निगराकार

बनाम

शासन मध्यप्रदेश

प्रति निगराकार

निगरानी अंतर्गत धारा–50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता

महोदय,

प्रस्तुत निगरानी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के प्रकरण राजस्व/74/बी–121/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 10.12.2015 से व्यथित होकर समक्ष श्रीमान् के प्रस्तुत है :–

1. यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :– यह कि भूमि स्थित धर्मपुरा खसरा नं. 258/1 रकवा 1.349 आरे का पट्टा राजस्व प्रकरण कमांक 107अ–19 (4)/95–96 के अनुसार दिया गया था, जो राजस्व अभिलेखों में संबंधित भू स्वामी के रूप में दर्ज किया जा चुका था, परंतु कम्प्यूटर खसरा में मध्यप्रदेश शासन दर्ज था।

2. यह कि संबंधित प्रकरण क्रमांक– 107/अ–19 (4)/95–96 के अनुसार आवेदक को पट्टा प्रदान किया गया था, जो हस्तलिखित राजस्व अभिलेखों में लगातार दर्ज रहा। वर्तमान में आवेदक द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बड़ागांव के समक्ष प्रकरण दर्ज कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जहां प्रकरण पंजीबद्ध कर संबंधित प्रकरण का अवलोकन किया गया। अभिलेखागार से राजस्व प्रकरण बुलाया गया, साक्ष्य एकत्रित किये गये। उक्त स्थिति में प्रकरण सही पाया गया, परंतु लगातार काफी बरस गुजर जाने पर राजस्व अभिलेख/कम्प्यूटरीकृत अभिलेख अद्यतन नहीं था, उक्त स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वरिष्ट न्यायालय से अनुशंसा मांगी, जहां अनुशंसा दिनांक 14.09.2015 को प्रकरण वरिष्ट न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 10.12.2015 प्रकरण कमांक– 74/बी–121/2015–16 के माध्यम से तत्काल निरस्त कर दिया।

--2--

R. 624-II/16 (निगरानी)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
27.6.16.	प्रकरण पेश। [illegible] आवेदक द्वारा ब्यान दिया कि वे प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते। आवेदक का आवेदन स्वीकार किया जाता है। प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। (हस्ताक्षर) सदस्य	(हस्ताक्षर)
R (हस्ताक्षर)		